फार्म बी.एम.-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखे)

वित्तीय वर्ष 2025-26

अनुदान संख्या व नाम : 43-परिवहन विभाग (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) **(पूंजीगत पक्ष)**	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग
1	2	3	4	5	6
4059-01-051-22-00 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 01-कार्यालय भवन 051-निर्माण 22-लखनऊ जनपद के हजरतगंज में आलिवर रोड पर स्थित भूमि पर बहुमंजिला एकीकृत आधुनिक परिवहन भवन का निर्माण 24-वृहत निर्माण कार्य	1500.00	100.00	100.00	100.00	1400.00
योग-	**1500.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**1400.00**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) **(पूंजीगत पक्ष)** अनुदान संख्या-43	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में कुल प्रत्याशित व्यय	संक्रमण हेतु प्रत्याशित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
4059-01-051-03-00 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 01-कार्यालय भवन 051-निर्माण 03-परिवहन आयुक्त कार्यालय के भवन ब्लाक-ए पर द्वितीय तल					

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

का निर्माण 24-वृहत निर्माण कार्य	1.00	101.00	100.00	100.00	101.00
योग -	**1.00**	**101.00**	**100.00**	**100.00**	**101.00**

(1) बचत के कारण निम्नानुसार हैः-

वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु पूँजीगत पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 4059-लोक निर्माण कार्य पूँजीगत परिव्यय 01-कार्यालय भवन 051-निर्माण 22-लखनऊ जनपद के हजरतगंज में ओलिवर रोड पर स्थित भूमि पर बहुमंजिला एकीकृत आधुनिक परिवहन का निर्माण के मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य मद में धनराशि रु० 1500.00 लाख का प्राविधान किया गया है। लखनऊ जनपद के हजरतगंज स्थित ओलियर रोड पर नजूल भूमि खसरा संख्या 152 (भाग), क्षेत्रफल 29295 वर्ग फिट भूमि पर बहुमंजिला आधुनिक परिवहन भवन बनाये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त कम में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण लखनऊ मंडल लखनऊ के पत्र दिनांक 04.08.2025 द्वारा अवगत कराया गया कि 30 मार्च, 2010 को भारत सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना संख्या-13 जारी कर प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 में संशोधन कर दिया गया है, जिसके तहत केन्द्रीय संरक्षित स्मारक के प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी भी प्रकार का नवनिर्माण अनुमन्य नहीं है। अतः वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रश्नगत प्रकरण हेतु प्रावधानित धनराशि का उपयोग हो पाना संभव नहीं है।

(2) व्यायाधिक्य के कारण निम्नानुसार हैं :-

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण लखनऊ मंडल लखनऊ के पत्र दिनांक 04.08.2025 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से परिवहन आयुक्त कार्यालय के पत्र संख्या 40/नजा०/2025-20नजा/2023 दिनांक 10.09.2025 द्वारा शासन को अवगत कराया गया। लखनऊ जनपद के हजरतगंज स्थित ओलिवर रोड (सप्रू मार्ग) पर नजूल भूमि खसरा संख्या-152 पर परिवहन भवन का निर्माण कार्य किया जाना संभव नहीं हो पा रहा था। उक्त परिप्रेक्ष्य में परिवहन अनुभाग-३ उ०प्र०शासन के पत्र दिनांक 26.11.2025 द्वारा लिये गये निर्णय के कम में परिवहन आयुक्त कार्यालय पत्र संख्या जी-2730/2025-2000/2025 लेखानुभाग दिनांक 10 दिसम्बर 2025 द्वारा आधुनिक परिवहन भवन हेतु लेखाशीर्ष 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 01-कार्यालय भवन 051-निर्माण 22-लखनऊ जनपद के हजरतगंज में ओलिवर रोड पर स्थित भूमि पर बहुमंजिला एकीकृत आधुनिक परिवहन का निर्माण के मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि रु० 1500.00 लाख में से लेखाशीर्ष 4059-01-051-21-00 परिक्षेत्र/संभागीय / सहायक सम्भागीय परिकात कार्यालयो-बरेली, गाजीपुर, फर्रुखाबाद हापुड़, देवरिया, सम्भल, जौनपुर चित्रकूट व चन्दौली में सारथी हॉल सहित कार्यालय भवन का निर्माण के मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य हेतु धनराशि रु० 1400.00 लाख का प्रस्ताव पुनर्विनियोग हेतु शासन को प्रेषित किया गया एवं शेष सम्भावित बचत धनराशि रु० 100.00 लाख को अनुपूरक बजट 2025-26 के माध्यम से नवीन सृजित लेखाशीर्ष 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 01-कार्यालय भवन 051-निर्माण 03-परिवहन आयुक्त कार्यालय के भवन ब्लाक-ए पर द्वितीय तल का निर्माण के मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य हेतु पुनर्विनियोग कराया जाना प्रस्तावित है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्वनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्ध/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>आर0ई0 संख्या-बजट-1-251, दिनांक 22-01-2026</u>

सेवा में,

महालेखाकार,

(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश,

इलाहाबाद।

ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव,
परिवहन विभाग।

ह0/-
(सिद्धार्थ श्रीवास्तव)
अपर निदेशक,
वित्त विभाग,
उ०प्र०शासन।

<u>संख्या-23/2026/151/तीस-3-2026 दिनॉक 27 जनवरी, 2026</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस शर्त के साथ प्रेषित कि जिस मानक मद से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है, उसी मानक मद में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि के पुनर्विनियोग का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मानक मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ ।

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (03 प्रतियों में)।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव,
परिवहन विभाग।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in